न्यायालय सेशन न्यायाधीश, धौलपुर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :-- संजीव मागो, आर०जे०एस० (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध फौजदारी प्रकरण संख्या :- 257/2026

एफ० आई० आर० संख्या :- 89/2026, थाना मनियां, धौलपुर

अपराध अंतर्गत धारा :- 281, 112(2) बी०एन०एस०, 11(1)(घ),14 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960

1. दिनेश पुत्र मानसिंह, उम्र 40 साल, निवासी ग्राम भडौली, पुलिस थाना अम्बाह, जिला मुरैना (म०प्र०)
2. रिजवान पुत्र फजल अहमद, उम्र 33 साल, निवासी ग्राम चौधरान पट्टी, थाना छपरौली, जिला बागपत (उ०प्र०)

-प्रार्थी/अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, धौलपुर

-अप्रार्थी/अभियोगी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :- 483 बी०एन०एस०एस०

उपस्थिति :-

1- श्री सुबोध शर्मा, अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से ।

2- श्री शैलेन्द्र सिंह मथुरिया, लोक अभियोजक राज्य की ओर से ।

आदेश दिनांक : 09-03-2026

1) प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से यह प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । नकल जमानत आवेदन विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई गई ।

2) प्रकरण के तथ्यानुसार इस मामले में थाना मनियां, धौलपुर के ए.एस.आई. अश्वनी कुमार की ओर से एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई गई कि दिनांक 2.3.2026 को उसके द्वारा बरैठा चौकी के सामने नाकाबंदी प्रारंभ की गई तो समय करीब 12.50 पीएम पर एक कैन्ट्रा नंबरी एम.पी.07-जी.ए.-9910 मनियां की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया जिसको रूकवाया और नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम दिनेश तथा साथ में बैठे हुए व्यापारी व्यक्ति ने अपना नाम रिजवान होना बताया । ट्रक को चैक किये जाने पर उसमें 12 जिंदा भैंस व 4 पाडा भरी हुई पाई गई जिनकी खरीद-फरोख्त व परिवहन के संबंध में चालक व व्यापारी द्वारा कोई बिल नहीं

होना बताया और उक्त भैंसों को व्यापार के उद्देश्य से कट्टीघर में ले जाना बताया । इस प्रकार उक्त दोनों व्यक्तियों का कृत्य धारा 281, 112(2) बी०एन०एस०, 11(1)(घ) व 14 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत दण्डनीय होने के कारण उनको मौके पर ही गिरफ्तार किया जाकर भैंसों व पाडा को मय वाहन जप्त किया गया । कानूनी कार्यवाही की जावे, इत्यादि । उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र मनियां, धौलपुर पर प्राथमिकी संख्या 89/2026 दर्ज कर अनुसंधान जारी है व अब तक के अनुसंधान से इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 281, 112(2) बी०एन०एस०, 11(1)(घ) व 14 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के आरोप बनना पाये गये हैं । प्रकरण में प्रार्थी/ अभियुक्तगण दिनांक 02/03/2026 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं जिनके विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना उनके आपराधिक रिकार्ड में नहीं बताया गया है ।

3) प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रार्थी/ अभियुक्तगण को झूंठा फंसाया गया है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, उनको जबरन अपराध में संलिप्त किया गया है । उनका अपराध आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दंड की सजा से दंडनीय नहीं है । उनके कहीं फरार होने अथवा भागने की संभावना नहीं है । प्रकरण के अनुसंधान अथवा अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है । अतः उनको जमानत का लाभ प्रदान किया जावे ।

4) विद्वान लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरुद्ध अवैध रुप से भैंसों को ट्रक में बुरी तरह से ठूंस-ठूंस कर भरकर उनका बिना किसी परमिट अथवा कागजात के बूचडखाने में ले जाने हेतु परिवहन कर पशु क्रूरता और संगठित अपराध कारित करने के अपराध के आरोप प्रमाणित पाये गये हैं अतः उनकी ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

5) उभयपक्ष की ओर से दिये गये तर्कों पर मनन किया गया एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

6) चूंकि प्रस्तुत प्रकरण अभी अनुसंधान के स्तर पर है जिसमें समय लगने की संभावना है। प्रकरण में प्रार्थी/ अभियुक्तगण दिनांक 02/03/2026 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं जिनके विरुद्ध बताये गये आरोप मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं हैं । अतः इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किये बिना प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत व उचित प्रतीत होता है।

7) परिणामस्वरुप प्रार्थी/अभियुक्तगण 1. दिनेश पुत्र मानसिंह, उम्र 40 साल, निवासी ग्राम भडौली, पुलिस थाना अम्बाह, जिला मुरैना (म०प्र०) एवं 2. रिजवान पुत्र फजल

Cr. Misc. Case No. - 257/2026 **दिनेश व अन्य बनाम सरकार**

<u>जमानत प्रार्थना पत्र बावत आदेश दिनांक 09.03.2026</u>

अहमद, उम्र 33 साल, निवासी ग्राम चौधरान पट्‌टी, थाना छपरौली, जिला बागपत (उ०प्र०) की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 89/26 थाना मनियां, धौलपुर से संबंधित प्रकरण में प्रस्तुत यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, धौलपुर की संतुष्टि हेतु 25-25 हजार रुपये की दो जमानतें एवं 50 हजार रुपये राशि का स्वयं का मुचलका अपनी नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत कर तस्दीक करादे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जावे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP(CRIMINAL)NO० 4/2021 आदेश दिनांक 28/3/2023 में पारित दिशा-निर्देश की पालना में आदेश की प्रति अधीक्षक, जिला कारागार, धौलपुर को जरिये ई-मेल भेजी जावे ।

(संजीव मागो)
सेशन न्यायाधीश,
धौलपुर-राज०

यह आदेश आज दिनांक 09/03/2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

(संजीव मागो)
सेशन न्यायाधीश,
धौलपुर-राज०

MANISH SHARMA

PA cum EA "Authenticated Document" Digitally signed by MANISH SHARMA Date: 2026.03.10 12:11:55 +0530